कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर

क्रमांक/जिविसेप्रा/विज्ञप्ति/2018/ दिनांकः–30.01.2018

–:: विस्तृत विज्ञप्ति ::–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती–2018

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 1999, (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के निम्नउल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार रूपये 12,400/– (Fixed) प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। (दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पे लेवल एल–1 में रूपये 17,700 पर वेतन नियतन (Fixation) किया जावेगा।)

रिक्तियों की संख्या				
पद का नाम	सामान्य	अजा	अजजा	योग
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3 (1)*	0	1	4

*कोष्ठक में दर्शित पद महिला हेतु क्षैतिज रूप से आरक्षित है।

सम्पूर्ण डूंगरपुर जिला घोषित अनुसूचित (उपयोजना) क्षैत्र के अन्तर्गत आने से राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (क–2) की आज्ञा क्रमांक पं.13(20) कार्मिक/क–2/91 दि.24.08.98 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ13(20)/कार्मिक/क–2/91 पार्ट–I दि.16.06.13, राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 तथा **भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ19(2)80–एल–1 दि.12.02.81 के अनुसार सम्पूर्ण डूॅगरपुर जिला घोषित अनुसूचित (उपयोजना) क्षैत्र के अन्तर्गत के आने से अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की सभी उपलब्ध आरक्षित रिक्तियाॅ एवं अनारक्षित रिक्तियां स्थानीय (डूॅगरपुर जिले के) अभ्यर्थियो से भरी जावेंगी एवं इस जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के योग्य तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता की स्थिति में घोषित अनुसूचित (उपयोजना) क्षैत्र के अन्य जिलो के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जावेंगी। शेष अनुसूचित जाति वर्ग की एवं अनारक्षित पदों की रिक्तियां डूॅगरपुर जिले के स्थानीय अभ्यर्थियों से भरी जावेगीं एवं स्थानीय योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में घोषित अनुसूचित (उपयोजना) क्षैत्र के अन्य क्षैत्र के अभ्यर्थियों** से उक्त पद भरे जा सकेंगे। इन पदों में राजस्थान सरकार की समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत महिला आवेदकों एवं निःशक्तजन/उत्कृष्ठ खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

नोटः–

1. महिलाओं को आरक्षण नियमानुसार क्षैतिज रूप से देय होगा परन्तु चयन/नियुक्ति हेतु कोई योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पद उसी श्रेणी विशेष के योग्य पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे।
2. निःशक्तजन (विशेष योग्यजन)को आरक्षण नियमानुसार क्षैतिज रूप से देय होगा।
3. चयन/नियुक्ति हेतु कोई योग्य निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि. वर्ग/अति.पि.वर्ग/ के अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में उक्त रिक्त पद नियमानुसार विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरे जायेंगे।
4. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
5. रिक्तियों की संख्या में किसी भी समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, इस हेतु पुनः विज्ञप्ति/संधोधित–पत्र जारी नही किया जायेगा।
6. किसी विज्ञापित रिक्तयों के लिए अभ्यर्थीयों का चयन करते समय यदि विज्ञापित रिक्तयों की संख्या के 50%से अनधिक के अतिरिक्त अपेक्षा की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये तो ऐसी अतिरिक्त अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा;

<u>अभ्यर्थी के लिये निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है:–</u>

1– <u>आयु</u>:–

आवेदक की आयु **<u>दिनांक 01–01–2019</u>** को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों एवं इस वर्ग की महिलाओं, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिक व राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी तथा केन्या, तंजानिया, युगांडा, जंजीबार से प्रत्यावर्तित होकर आये अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी जिसके लिए अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं के मामले में भी आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी। विधवाओं के मामले में उन्हें अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में विवाह–विच्छेद का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– <u>शैक्षणिक योग्यता</u> :–

उक्त पद पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम **<u>पांचवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये</u>** एवं देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा को पढने एवं लिखने का अच्छा ज्ञान होना चाहिये।

3– <u>शारीरिक योग्यता :–</u>

आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिये तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिये, जो उसके कार्य निष्पादन में बाधक हो। नियुक्ति होने पर ड्यूटी ज्वोईन करने के समय अभ्यर्थी को सक्षम मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4– <u>चरित्र</u> :–

आवेदक को अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्यिों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जो आवेदक के रिश्तेदार न हों एवं जो आवेदन की तिथि से छः माह की अवधि के पूर्व के न हो भी आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

5– <u>राष्ट्रीयता</u>:–

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या पूर्वोक्त वर्णित नियम, 1999 के नियम 11 के अनुसार अर्हता प्राप्त हो।

6– <u>नियुक्ति के लिए निरर्हता</u>

(अ) कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसकी दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 02 से अधिक सन्तानें हो;

– परन्तु दो से अधिक संतानों वाला आवेदक तब तक नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा जब तक उक्त संतानों की संख्या में जो कि 01.06.2002 को है, मैं वृद्धि नहीं होती है।

– परन्तु यदि किसी आवेदक के पूर्व प्रसव से एक ही संतान है परन्तु बाद वाले एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हुई है वहां संतानों की कुल संख्या को गिनते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जाएगा।

– परन्तु पूर्वोक्त संतानों की संगणना में ऐसी संतान को नहीं गिना जाएगा जो कि पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त व्यक्ति से संबंधित विधियों में वर्णित निःशक्तता से ग्रस्त हो।

– परन्तु आवेदक का ऐसा पुर्नविवाह जो विधि द्वारा वर्जित नहीं है व ऐसे पुर्नविवाह से पूर्व वह नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हो तो उसे अयोग्य नहीं समझा जएगा यदि ऐसे पुर्नविवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(ब) कोई भी पुरूष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है; सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा/होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।

(स) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज (संबंधित विधि में यथा परिभाषित) स्वीकार किया हो।

7– विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नी के नाम का उललेख करें तथा जिन अभ्यर्थियों का विवाह दिनांक 22.05.2006 या इसके पश्चात् हुआ है, उन्हे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र, तथा दिनांक 22.052006 से पूर्व विवाहित अथवा अविवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8— प्रत्येंक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दंडित नही किया गया है, एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है व लम्बित होने या दोषसिद्ध किया हुआ होने की स्थिति में उसे सम्पूर्ण विवरण शपथ—पत्र में प्रस्तुत करना होगा।

9— **<u>आवेदन—पत्र</u> :—**

अभ्यर्थी को अपना आवेदन—पत्र सादे कागज पर सुस्पष्ट लेख में लिखा हुआ/टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। जिसमें अभ्यर्थी का नाम, माता—पिता/पति का नाम, जाति, वर्ग, गृह जिला, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, ई—मेल एड्रेस, मोबाईल नं. (यदि हो तो), आधार नम्बर (यदि हो तो), राष्ट्रीयता का उल्लेख हो तथा वर्तमान नियुक्ति (यदि हो तो) का पद, सेवा की अवधि, व पदनाम, नियोजन का पंजीयन क्रमांक व वैद्यता की उवधि (यदि हो तो) अंकित हो। प्रार्थना पत्र पर अपना स्वयं का हस्ताक्षरित रंगीन फोटोग्राफ जो स्वयं सत्यापित हो, चस्पा किया जावे। प्रार्थना—पत्र के अंत में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में किसी राजकीय सेवा में सेवारत है तो उसे प्रार्थना पत्र में उल्लेख करना होगा एवं आवेदन—पत्र अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से या विभागाध्यक्ष की लिखित अनापत्ति सहित प्रस्तुत करना होगा।

10— **<u>आवेदन शुल्क</u>:—**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ—7(115)रालसा/Estt.2011, रालसा/संयुक्त सचिव/स्थापना/2018/36290—36324 दिनांक 25.01.2018 में निर्देशानुसार आवेदन शुल्क निम्नानुसार रहेगा।

सामान्य/ अ.पि.व./अति.पि.व	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
100/—रूपये	60/—रूपये	60/—रूपये

उक्त आवेदन शुल्क जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर के नाम से जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट देय होगा।

11— **<u>आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि</u> :—**

आवेदन—पत्र **<u>दिनांक 23.02.2018</u> को सांय 5.00 पी.एम.** तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर को व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्राप्त हो जाने चाहिये। उपरोक्त अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आवेदन पत्र जैसे की व्यक्तिशः/डाक द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदन—पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा इन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जावेगा। अपूर्ण आवेदन—पत्र एवं वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के संलग्न न होने की स्थिति में एवं अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन—पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर दिया जावेगा तथा उस पर कोई विचार नही किया जावेगा व इसकी अलग से कोई सूचना आवेदक को संप्रेषित नही की जाएगी एवं न ही शुल्क लौटाया जाएगा।

12— **<u>साक्षात्कार</u>:—**

साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थीगण की सूची दिनांक 07.03.2018 को जिला न्यायालय की अधिकृत विभागीय वेबसाईट http://ecourts.gov.in/dungarpur पर अपलोड की जाएगी एवं इस कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाएगी एवं उक्त अभ्यर्थीगण के साक्षात्कार दिनांक 12.03.2018 को प्रातः 09.00 बजे से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर में लिये जाएंगे। अभ्यर्थीयों की संख्या अधिक होने की स्थिति में व उक्त दिवस को साक्षात्कार पूर्ण नहीं होने की स्थिति में शेष आवेदकों के साक्षात्कार आगामी कार्य दिवस या दिवसों को लिए जाएंगे, जिसकी सूचना तत्समय कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाएगी तथा पृथक से किसी भी आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। किसी भी आवेदक को साक्षात्कार हेतु यात्रा—भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थीगण को जिन प्रमाण—पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां आवेदन के साथ संलग्न की है, उनके मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय साथ लेकर उपस्थित होना होगा। भर्ती नियमों में वांछित पात्रता पूर्ण करने पर ही अभ्यर्थी चयन/नियुक्ति का पात्र होगा। पात्रता के सम्बन्ध में नियोक्ता का निर्णय अन्तिम एवं निश्चयात्मक होगा।

13— **आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें :**

1. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज का स्वयं द्वारा सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो।

2. आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

3. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां।

4. पहचान–पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स/पैन कार्ड या सक्षम अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पहचान दस्तावेज) की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।

5. जन्मतिथि के प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।

6. आयु सीमा, आरक्षण या अन्य किसी प्रकार का क्लेम करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।

7. जिस शैक्षणिक संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूप में अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, उस विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।

8. दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण पत्र (जो 6 माह से अधिक पुराने न हों)

9. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति (जिन अभ्यर्थियों का विवाह दिनांक 22.05.2006 या इसके पश्चात् हुआ हैं) या इस आशय का शपथ पत्र।

अथवा

10. दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित होने अथवा अविवाहित होने का शपथ पत्र।

11. इस आशय का शपथ पत्र कि अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान नहीं हैं व उसके द्वारा अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नही किया है।

12. अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में दाण्डिक प्रकरण लम्बित होने या पूर्व में दोषसिद्ध किया हुआ होने की स्थिति में उसके सम्पूर्ण विवरण का शपथ पत्र।

13. इस आशय का शपथ पत्र कि ''मैं घोषित व सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है व यदि कोई जानकारी/दस्तावेज असत्य एवं मिथ्या पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मेरा चयन/नियुक्ति किसी भी प्रक्रम पर खारिज की जा सकती है।''

नोटः– अभ्यर्थी से शपथ पत्र के माध्यम से पूर्वोक्त वांछित सभी तथ्य एक ही शपथ पत्र के द्वारा भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

14– **<u>अयोग्यता का आधार :–</u>**

जो अभ्यर्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को साक्षात्कार में उत्तीर्ण कराने का कोई अनुचित प्रयास करेगा, उसे अयोग्य माना जावेगा।

15– साक्षात्कार की उपरोक्त तिथि में परिवर्तन होने की स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं जिला न्यायालय की अधिकृत विभागीय वेबसाईट http://ecourts.gov.in/dungarpur पर अपलोड कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को स्वयं इसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई जानकारी नही दी जायेगी।

16– **<u>आवेदन पत्रों की संवीक्षा</u>**

नियुक्ति प्राधिकारी उन आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी जो उसे प्राप्त हों और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित उतने अभ्यर्थियों से जितने उसे साक्षात्कार के लिए वांछनीय प्रतीत हो, अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा; परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के बारें में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
डूंगरपुर

क्रमांक / जिविसेप्रा / 2018 / दिनांकः—30.01.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1) श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2) श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधि कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3) श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4) श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ...।
5) श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...।
6) श्रीमान् जिला कलेक्टर, डूंगरपुर।
7) श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर।
8) निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,राजस्थान सरकार।
9) जिला समाज कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर।
8) जिला नियोजन अधिकारी, डूंगरपुर।
9) जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,डूंगरपुर।
10) नोटिस बोर्ड, कार्यालय हांजा।
11) नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, डूंगरपुर।
12) नोटस बोर्ड अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, सागवाड़ा / आसपुर / सीमलवाड़ा।
13) सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय डूंगरपुर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर उपलोड करने हेतु।
14) कार्यालय प्रति।

पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
डूंगरपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन–पत्र

आवेदक का नवीनतम स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज़ फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम–..
2. माता का नाम– ....
3. पिता का नाम–...
4. विवाहित / अविवाहित...
   (प्रमाण पत्र की प्रति / शपथ–पत्र संलग्न करे)
5. पति / पत्नी का नाम (अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में)
   ....
6 जीवित संतानों की संख्या...
6. लिंग...
7. जाति..
8. राष्ट्रीयता..
9. प्रवर्ग (श्रेणी)..
   सामा. / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / महिला / विधवा / परित्यक्ता / विकलांग / अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करे)
10. गृह जिला...
11. राज्य ....
12. स्थायी पता..
13. वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)..
14. निकटतम पुलिस थाना..
15. जन्मतिथि (अंको में)– ....
    (शब्दों में)–...
16. मोबाईल नं. (यदि हो)...
17. आधार नं. (यदि हो तो)..
18. वर्तमान में सेवारत है तो पद..................................नियुक्ति दिनांक ....
    एवं विभाग.. .
19. नियोजन का पंजीयन क्रमांक व वैद्यता की अवधि (यदि हो तो)
    ....
    ....
20. संलग्न दस्तावेज का विवरण

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता

सन्तान संबंधी घोषणा–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी .... तहसील .... जिला.................................. ... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को या इसके बाद तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

या

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी ... . तहसील .... जिला.................................... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अभी अविवाहित हूँ।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर शपथकर्ता

प्रपत्र–06

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी ... . तहसील .... जिला................................. शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... तहसील .... जिला .... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री ....निवासी .... तहसील .... जिला .... के साथ दिनांक ....को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूँ।

या

मैं ....विधुर/विधवा हूँ।

(पति/पत्नी, श्री/श्रीमती ....)

या

मैं .... तलाकशुदा हूँ।

(पति/पत्नी, श्री/श्रीमती ....)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक ....को सम्पन्न हुआ था।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर शपथ कर्ता